UPSR040154912022

न्यायालय सिविल जज (प्र०ख०)त्वरित न्यायालय/अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, श्रावस्ती

पीठासीन अधिकारी– (प्रद्युम्न कुमार मिश्रा) - **उ०प्र० न्यायिक सेवा – UP03289**

वारण्ट सम्मन्स क्रिमिनल केस/11324/2022

राज्य बनाम. गिरीश बहेलिया

मु०अ०सं० 111/2022
धारा –323, 504, 506 भा०दं०सं०
थाना को० भिनगा, जनपद श्रावस्ती।

दिनांक 22.07.2026

पत्रावली आज जेल लोक अदालत में पेश हुई।

अभियुक्त गिरीश बहेलिया पुत्र राम नरेश उपस्थित है। अभियुक्त ने स्वेच्छा से जुर्म स्वीकार किये जाने का कथन किया है। अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जुर्म इकबाल प्रार्थनापत्र पर आवेदक व विद्वान अभियोजन अधिकारी को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अभियुक्त द्वारा कथन किया गया है कि वह इस वाद में अभियुक्त है। प्रार्थी अपना जुर्म स्वेच्छा से इकबाल करना चाहता है। प्रार्थी उपरोक्त वाद में 3 वर्ष 10 माह 22 दिन से जिला कारागार में निरुद्ध है। प्रार्थी को कारागार में बिताई गई अवधि पर छोड़े जाने की याचना की गई। पत्रावली में अभियुक्त पर वादी मुकदमा को भद्दी–भद्दी गाली देते हुए मारने पीटने व उसे जान से मार डालने का आरोप है। पत्रावली अभी विचारण में है। अतः आवेदक अभियुक्त गिरीश बहेलिया जुर्म इकबाल के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 111/2022 में धारा– 323, 504, 506 भा०दं०सं० के अंतर्गत दोषसिद्ध किया जाता है। दंड पर सुनवाई हेतु पत्रावली पुनः पेश हो।

(प्रद्युम्न कुमार मिश्र)
सिविल जज (प्र०ख०)त्वरित न्यायालय/
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
श्रावस्ती।

दिनांक 22.07.2026

पत्रावली पुनः पेश हुई। अभियुक्त को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। पत्रावली का परिशीलन किया गया। परिशीलन से विदित होता है कि अभियुक्त ने वादी मुकदमा को भद्दी–भद्दी गाली देने, मारने पीटने व जान से मार डालने का आरोप है। अभियुक्त 3 वर्ष 10 माह 22 दिन से जिला कारागार में निरूद्ध है। अभियुक्त का यह भी कथन है कि वह

अत्यंत गरीब है तथा उसके परिवार की देखभाल करने वाला और कोई व्यक्ति नहीं है। इस मामले में उसकी पैरवी करने वाला कोई पैरवीकार भी नहीं है। वह भविष्य में कभी भी ऐसी गलती नहीं करने का आश्वासन देता है। अतः अभियुक्त की सामाजिक, आर्थिक व पारिवारिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए उसे निम्नानुसार दण्डित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अभियुक्त गिरीश बहेलिया पुत्र राम नरेश को मुकदमा अपराध संख्या–111/2022 व मुकदमा सं० 11324/2022 धारा 323, 504, 506 भा०दं०सं० के आरोप में अभियुक्त द्वारा जेल में बिताई गई अवधि व मु० 500/–रूपये जुर्माना के दण्ड से दण्डित किया जाता है। जुर्माना अदा न करने की दशा में अभियुक्त 05 दिन के अतिरिक्त कारावास का अधिभोगी होगा।

दोषसिद्ध का दोषसिद्धि वारंट बनाया जाए।

(प्रद्युम्न कुमार मिश्र)
दिनांक 22.07.2026 सिविल जज (प्र०ख०)त्वरित न्यायालय/
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
श्रावस्ती।